संशोधन

संख्या- 287 /2025 / 2447 /चार-2025-1735135

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 21 अगस्त, 2025

विषयः- काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह, विभाजन विभीषिका एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपदों में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 279 /2025 /2373 /चार-2025-1735135 दिनांक 08 अगस्त, 2025 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में अपने पत्र संख्या- 1434/सं0नि0-15(40)/2025-26 टी.सी. दिनांक 13 अगस्त, 2025 एवं शासनादेश संख्या- 279 /2025 /2373 /चार-2025-1735135 दिनांक 08 अगस्त, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश संख्या- 279 /2025 /2373 /चार-2025-1735135 दिनांक 08 अगस्त, 2025 के प्रस्तर-1 में अंकित तालिका में प्रदेश के अन्य 60 जनपद की सूची में जनपद 'इटावा' दो बार अंकित हो गया है जबकि जनपद 'एटा' का अंकन नहीं किया गया है।

3. इस संबंध में उक्त शासनादेश संख्या- 279 /2025 /2373 /चार-2025-1735135 दिनांक 08 अगस्त, 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 08 अगस्त, 2025 के प्रस्तर-1 में अंकित तालिका में प्रदेश के अन्य 60 जनपद की सूची में जनपद 'इटावा' को एक बार यथावत् पढ़ा जाए और दूसरी बार अंकित जनपद 'इटावा' के स्थान पर जनपद 'एटा' पढ़ा जाए।

4. उक्त शासनादेश संख्या- 279 /2025 /2373 /चार-2025-1735135 दिनांक 08 अगस्त, 2025 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या - 287 /2025 / 2447 (1) /चार-2025-1735135 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकरी/ अध्यक्ष, जिला पर्यटन एवं संस्कृति पिरषद्, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in